संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

क्र0 9/नर्सिंग/सेल–3/2018/1038 **मध्य प्रदेश** भोपाल दिनांक22/12/2018

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन, स्वीकृत पद नर्सिंग सिस्टर एवं सिस्टर ट्यूटर की विभागीय सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति प्रकिया एम. पी. ऑन लाईन के माध्यम से निम्नानुसार तिथियों में आयोजित की जावेंगी है:–

Dates Schedule for Sister tutor and Nursing Sister Exam			
S.no	Event	DATE(FROM)	DATE(TO)
1	Application Form	26-12-2018	06-01-2019
2	Admit Card	14-01-2019	24-01-2019
3	Exam Date	24-01-2019	24-01-2019
4	Objection Calling	28-01-2019	30-01-2019

उपरोक्त भर्ती प्रकिया में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन पदस्थ स्टॉफ नर्सेस ही आवेदन करने हेतु पात्र होगी। परीक्षा से सम्बधित अन्य जानकारी एमपी ऑनलाईन की बेवसाईट www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

Rali 22/12/18

अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

विभागीय परीक्षा (नर्सिंग सिस्टर / सिस्टर ट्यूटर के पद हेतु)-2018

शासकीय चिकित्सालयों में नर्सिंग सिस्टर एवं नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाओं में सिस्टर ट्यूटर की नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के लिए, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु चयन संबंधी नियम एवं शर्ते

(केवल लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत महिला स्टाफ नर्सेस के लिए)

GOVT. OF MADHYA PRADESH
FORMULATED AND ISSUED BY
DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
SATPUDA BHAWAN, BHOPAL

मध्य प्रदेश शासन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुडा भवन, भोपाल

1. **सामान्य -**

तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम 1989 का संशोधित नियम 27 जून 2017 अनुसार नर्सिंग सिस्टर तथा सिस्टर ट्यूटर के सीमित विभागीय पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों पर यह नियम लागू होंगे।

2. **परिभाषा - इन नियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -**

(क) **"विभाग" से अभिप्रेत है - मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।**

(ख) **''परीक्षा'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।**

(ग) **"पद"** से अभिप्रेत है वे पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधी से बाहर है।

(घ) **"भरती वर्ष"** से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;

(च) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(छ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुछेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिद्रष्ट किया गया है।

(ज) **"राज्य"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य।

(झ) **"एम;पी; ऑनलाईन "** से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश ऑनलाईन लिमिटेड ।

3. **पदों का विवरण :-**

नर्सिंग सिस्टर के कुल पद :- 77

सिस्टर टयूटर के कुल पद :- 33

अनारक्षित एवं आरक्षित पदों की वर्गवार तालिका :-

क्रमांक	श्रेणी	नर्सिंग सिस्टर	सिस्टर टयूटर
1	अनारक्षित	39	16
2	अन्य पिछडा वर्ग	11	5
3	अनुसूचित जाति	12	5
4	अनुसूचित जन जाति	15	7
	कुल	77	33

4. **पदनाम एवं वेतनमान :-**

4.1 पदनाम :- नर्सिंग सिस्टर

वेतनमान :- पी. बी. -2 9300 से 34800+3600

4.2 पदनाम:- सिस्टर ट्यूटर

वेतनमान :- पी. बी. -2 9300 से 34800+3600

5. **शैक्षणिक योग्यता/अन्य अहर्ताएं :-**

उम्मीदवार को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंध के अनुसार शैक्षणिक अहर्ता धारण करना अनिवार्य होगा, परीक्षा के लिये निम्नालिखित शैक्षणिक अहर्ता अनिवार्य होगी, अर्थात -

1. एम.एस.सी. नर्सिंग/बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग उत्तीर्ण कर्मचारी ।
2. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन स्टाफ परिचारिका के पद पर 05 वर्ष का निरंतर सेवा अनुभव अनिवार्य। (अध्ययन अवकाश, चाईल्ड केयर लीव अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति या किसी भी तरह के लम्बे समय तक अवकाश को 05 वर्ष के सेवा अनुभव में गणना नहीं की जावेगी।)
3. आवेदन की तिथि को रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

स्पष्टीकरण :- इसके अतिरिक्त अन्य संस्थाओं जैसे भोज, इग्नू, पत्राचार आदि से प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक अपात्र होंगें।

यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा एम.पी.आनलाईन द्वारा उस उम्मीदवार की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए, निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति नही करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नही किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी उम्मीदवारी नामंजूर हो जाएगी ।

6. **आयुसीमा :-**

1. न्यूनतम एवं अधिकतम आयु-सीमा की गणना लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिचर्या भर्ती नियम 27 जून 2017 के अनुरूप होगी। उम्मीदवार की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालु वर्ष की 01 जनवरी को की जावेगी। सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्रमांक 3-8/2016/3-1 दिनॉक 12.05.2007।
2. न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ेवर्ग के लिए आयुसीमा 50 वर्ष होगी। (अधिकतम आयु सीमा के सम्बंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे।)

परंतु यह भी की सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 50 वर्ष से अधिक नही होगी।

7. **न्यूनतम अर्हकारी अंक (कट ऑफ मार्कस) :-**

एम.पी.आनलाईन द्वारा संचालिति परीक्षा में, केवल उन्ही उम्मीदवारों के नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होन निर्धारित कुल अंक में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हो। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 05 प्रतिशत तक अंक की छूट देते हुए 45 प्रतिशत न्यूनतम अहर्ता अंक होंगे।

8. **उम्मीदवार द्वारा आरक्षण का दावा :-**

आरक्षण का दावा कर रहे उम्मीदवार के पास मध्यप्रदेश के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और उम्मीदवार एम.पी.आनलाईन या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि उम्मीदवार ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने मे असफल रहता है तो ऐसी उम्मीदवारी या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रददकरण का दायित्व केवल उम्मीदवार का होगा।

9. **उम्मीदवारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना :-**

एम.पी.आनलाईन एक विज्ञापन जारी करके परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा, उम्मीदवार अपने आवेदन ऑनलाइन जैसा की एम.पी.आनलाईन द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रस्तुत करेंगें।

सभी उम्मीदवार नर्सिंग सिस्टर के पद हेतु मान्य किये जावेगें, जो उम्मीदवार सिस्टर ट्यूटर, के पद के लिये आवेदन करना चाहते है वे आवेदन में विकल्प का स्पष्ट चयन करे। ऑनलाइन नियत तिथि में जैसा की म.पी.आनलाईन द्वारा निर्देशित किया जाए प्रस्तुत करेंगें।

अनिवार्य दस्तावेज जो ऑनलाईन आवेदन के समय स्केन कॉपी अपलोड किया जाना होगा:-

1. 10 वीं की अंकसूची जन्म दिनॉक की पुष्टी हेतु ।
2. एम.एस.सी. नर्सिंग/बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग उत्तीर्ण की अंक सूची ।
3. एम.एस.सी. नर्सिंग/बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग उत्तीर्ण की डिग्री ।
4. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल की जीवित पंजीयन प्रति।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश द्वारा जारी किया गया **जाति प्रमाण** पत्र।
6. सी.एम.एच.ओ./सी.एस. द्वारा जारी किया जाने वाला प्रामाण पत्र (प्रोफार्मा संलग्न) :-

   लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन स्टाफ परिचारिका के पद पर 05 वर्ष का सेवा अनुभव, परिवीक्षा अवधि समाप्त होने संबंधी पुष्टी, विभागीय जॉच एवं न्यायालयीन प्रकरण न होने के संबंध में प्रमाण पत्र, अनापत्ती प्रमाण पत्र, परीवीक्षा अवधि समाप्त संबंधी, संस्था प्रभारी द्वारा अनापत्ती पत्र ।
7. फिटनेस सर्टिफिकेट ।

10. निरर्हताएं :-

1. किसी उम्मीदवार की ओर से उम्मीदवारी के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा /चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।
2. परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार एवं शांति भंग करने का प्रयास करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जा सकेंगें।
3. फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छिपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो तो ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य माना जावेगा।
4. पररूपधारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, कार्यवाही करने पर परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाऐगा।
5. समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उम्मीदवार को तीसरी संतान हो तो पात्र नहीं होंगें।
6. कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा विभागीय जॉच लंबित है परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।
7. जिन उम्मीदवारों के द्वारा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश से उच्च शैक्षणिक योग्यता(पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/एम.एस.सी. नर्सिंग) हेतु अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, एवं जॉब के साथ नियमित पाठ्यक्रम किया हो ऐसे उम्मीदवार पात्र नहीं होंगें।

11.आवेदन शुल्क :-

आवेदन शुल्क की प्रक्रिया, प्रपत्र एवं शुल्क आदि का निर्धारण एम.पी.ऑनलाईन मध्य प्रदेश के मापदंडों के अनुसार होगा जिसका व्यय स्वयं आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।
आवेदन पत्र एम पी ऑन लाईन कियोस्क द्वारा भी प्रस्तुत किये जा सकते है, जिसका शुल्क आवेदक द्वारा कियोस्क केन्द्र पर नगद भुगतान करना होगा ।

ऑनलाईन आवेदन त्रुटि सुधार एवं संशोधन का एक अवसर आवेदक को प्रदान किया जावेगा। जिसका भार आवेदक द्वारा एम.पी.ऑनलाईन मध्य प्रदेश के मापदंडों के अनुसार देय होगा।

12.परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

परीक्षा एम.पी.आनलाईन द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी।

परीक्षा हेतु विषय वस्तु नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात- तालिका परीक्षा पद्धति के लिये:-

स.	प्रश्न पत्र	अंक	प्रश्न पत्र का विवरण प्रश्न पत्र		कुल अंक
1	2	3	4	5	6
1	01	200	* 75 प्रश्न **1. ANATOMY AND PHYSIOLOGY** a- Structure and function of cell, tissue, Skeletal System, joints and muscles of body b- Structure and function of various system of human body for exc. Nervous System Circulatory, Respirator System, Excretory system, Reproductive system, Endocrine system. And Digestive system of human body. c- Sensory organs. **2. NUTRITION AND BIOCHEMISTRY** a- Macro nutrient and Micro nutrient. b- Cookery rules and Preservation of nutrients. c- Role of nurse in nutrition programme **3. MICROBIOLOGY** a- Types of immunity b- Immunization c- Hyper sensitivity and auto Immunity d- Control and Destruction of Microbes:- • Sterilization • Disinfection • Chemotherapy and Antibiotics • Pasteurization • Medical and Surgical Asepsis • Bio safety and Waste management **4. NURSING FOUNDATION** a- concept of health, nursing profession, hospital policy, nursing process, documentation, Recording, reporting health assessment, and meeting general and special need of patients .care of terminally ill patients. **5. PSYCHOLOGY** a- Personality development. Motivation and emotional process. b- psychological assessment and mental health and hygiene.	* 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य, कम्प्यूटर ज्ञान	200

6. COMMUNITY HEALTH NURSING

a- Health determinants, Epidemiology and nursing management of common communicable diseases and non-communicable diseases, population explosion and its control.

b- Health policy and planning, national health and family welfare programme, health agencies, role and responsibility of community health nurse

7. MEDICAL SURGICAL NURSING

a- Common sings, symptoms, and nursing management of medical and surgical systemic

b- disorders of human body.

c- nursing management of pre and post-operative patients.

d- nursing management of communicable and non-communicable diseases

e- nursing management of patients in emergency and disaster situation.

f- nursing management of geriatric client

g- General clinical investigation

h- Oncology Nursing

i- Fluid and electrolytes balance and Imbalanced

8. CHILD HEALTH NURSING

a- modern concept of child health nursing, IMNCI, management of behavioral and social

b- problem of children, care of new born and new born resuscitation, KMC

9. MIDWIFERY AND OBSTETRICAL NURSING

a- concept of midwifery and obstetrical nursing.

b- assessment and management of antenatal, intra-natal, and postnatal period.

c- assessment and management of normal neonates' high-risk pregnancy, abnormal Labour.

d- Drugs used in obstetric nursing, Family welfare programme.

10. MENTAL HEALTH NURSING

a- Principals and concept of mental health nursing, Assessment of mental health nursing,

b- nursing management of client with psychotic and neurotic disorder, legal issue in mental health nursing.

11. NURSING RESEARCH AND STATISTICS

a- Research approach, design, sampling review of literature, and statistical analysis

12. MANAGEMENT OF NURSING SERVICES AND EDUCATION

a- skill of communication, inter personal relationship and human relation
b- Guidance and counselling, use of A V Aids, various method of class room and clinical
c- teaching, use of IEC material
d- Assessment of knowledge skill and attitude and OSCE
e- Management of nursing services in the hospital and community, in service education,
f- management of nursing institution and professional advancement, budget planning .

13. SOCIOLOGY

a- Relationship between individual and society
b- Social group, social changes, social control problems and different culture.
c- Population, family and marriage and types of community in India.

14. NURSING ADMINISTRATION AND WARD MANAGEMENT

a- Administration and management process
b- Administration of Hospital department, Units, Wards
c- Management of equipment supply
d- Cost and financing of Health care
e- Vital statistics

13. एम.पी.आनलाईन **द्वारा परीक्षा परिणाम की घोषणा और सफल उम्मीदवारों की सूची जारी करना**

(1) एम.पी.आनलाईन, सफल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडें वर्गो को खुली श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जो अन्य पिछडा वर्ग के है और क्रीमी लेयर मे आते है, आरक्षण के लाभ, आयुसीमा मे छूट या इस प्रवर्ग के लिए कसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसके संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या मे नहीं जोड़ा जावेगा।

(3) आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अनारक्षित पदों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट(जिसमें उम्मीदवार द्वारा किसी भी आरक्षण का लाभ यथा आयु, शैक्षणिक योग्यता में नही लिया गया है तो ओपन केटेगरी में आएगा)।

(4) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडा वर्गो के सफल उम्मीदवारों की पृथक-पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों के नाम होरिजेंटल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाऐंगें।

(5) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी मे की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग आरक्षण,संबंधित वर्ग के उम्मीदवार को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/ जनजातियों/ अन्य पिछडे वर्गो संबंधित श्रेणी कपार्टमेन्ट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।

14.सहवरिष्ठता :-

परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी। आयु समान होने की स्थिति में उनकी उच्च शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी।

यह आवयक नहीं है की अंतिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार को चयन सूची में लाया जावे।

15. सफल उम्मीदवारों के अंतिम सूची की विधिमान्यता की अवधि एवं प्रतीक्षा सूची :-

मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ; सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनाँक 10/10/2016 की कंडिका 3 एवं 4 के अनुसार परीक्षा में चयनित उम्मीदवार सूची के (तब तक विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्ध कुल पद संख्या) 15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी । ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी ।

16. नियुक्ति प्रक्रिया :-

1. नियुक्ति के लिए एम.पी.आनलाईन की अनुशंसा :-

(क).एम.पी.आनलाईन उत्तीर्ण उम्मीदवारों के नामों की, नियम 10 के उपनियम (1) के अनुसार मूल रिक्तियों के पद के अनुसार, नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।

(ख) जिन उम्मीदवारों द्वारा सिस्टर टयूटर के पद हेतु विकल्प का चयन किया जावेगा उन्हे सिस्टर टयूटर के उपलब्ध पदों पर मैरिट क्रमानुसार चयन उपरान्त शेष रहे समस्त उम्मीदवारों को मैरिट क्रम में पात्रता अनुसार नर्सिंग सिस्टर के पद पर चयन की कार्यवाही की जावेगी।

(ग) विभाग अहर्ता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेज का परीक्षण करेगा और एम.पी.आनलाईन द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों के नाम की औपचारिकता पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा।

2. दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों का परीक्षण :-

परीक्षा उपरांत बोर्ड द्वारा जारी प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची के आधार पर विभाग द्वारा चयन/ नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण विभाग द्वारा किया जायेगा।

3. उम्मीदवारों को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों अनुसार सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4. परिवीक्षा अवधि:-

नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान कोई कर्मचारी नर्सिंग सिस्टर एवं सिस्टर टयूटर के पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसे उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा। प्रत्यावर्तित होने पर ऐसे प्रत्यावर्तित कर्मचारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि के दौरान की गई सेवा की कालावधि को उसके मूल पद पर व्यतीत की गई सेवा की कालावधि के रूप में माना जाएगा।

5. अभ्यर्थी का जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जाएगी।

6. चरित्र सत्यापन :-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार चरित्र सत्यापन कराया जायेंगा ।

टिप्पणी -विभाग द्वारा चाहे गए समस्त प्रपत्र/दस्तावेज/प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप अनुसार आवेदक द्वारा नियुक्ति/सत्यापन/परीक्षण के समय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

7. **आबंटन :-**

मैरिट अुनसार आवेदक द्वारा भरे गये विकल्प अनुसार जिला आबंटित किया जावेगा।

8. चयनित उम्मीदवार को की आबंटित जाऐगी। चयनित उम्मीदवारों को 15 दिवस का समय दिया जावेगा, आदेश उपरान्त 15 दिवस के अन्दर नियुक्ति स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में उपस्थित न होने की स्थिति में आबंटन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

9. **नियुक्ति उपरान्त वरिष्ठता एवं पदोन्नति :-**

इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये कर्मचारियो की नियुक्ति के उपरान्त उनकी सेवा से सम्बन्धित प्रकरण जैसे पारस्परिक वरीयता, स्थायीकरण, वेतन वृद्धियां आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी विभाग के परिचारिका सेवा भर्ती नियम के अनुसार निर्धारित की जावेगी।

17. **अधिवार्षिकी आयु :-** विभाग के प्रचलित परिचर्या भर्ती नियमानुसार लागू होगी ।

18. **न्यायिक क्षेत्राधिकार:-**

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी एवं भर्ती संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतगर्त रहेगा।

// अपर संचालक द्वारा अनुमोदित //

उप संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

नर्सिंग सिस्टर / सिस्टर ट्यूटर की सीधी विभागीय भर्ती परीक्षा - 2018

"नर्सिंग सिस्टर अथवा सिस्टर ट्यूटर (किसी एक) पद हेतु आवेदन करे"

फोटो

1. आवेदिका का नाम :- ....
2. पिता/पति का नाम :- ....
3. माता का नाम :- ....
4. जन्म तिथि :- ....

   (जन्म तिथि प्रमाणीकरण हेतु 10 वीं की अंक सूची पत्र अपलोड करें।) ☐
5. वर्तमान निवास का पता :- ....
6. मोबाइल/दूरभाष नं. :- ....
7. आधार नम्बर :- ....
8. ई मेल आई डी :- ....
9. जाति (अजा/अजजा/अपिव/अन्य) :- ....

   (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) म.प्र. द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें।) ☐
10. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :- ....

    (शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें।) ☐
11. अनापत्ती पत्र (कार्य अनुभव, परिवीक्षा अवधि,जॉच संबंधी पत्र का विवरण) :- ....

    (सीएमएचओ/सीएस द्वारा जारी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।) ☐
12. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल म.प्र. का जीवत पंजीयन नम्बर ....

    (नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल म.प्र. का जीवत पंजीयन प्रमाण पत्र अपलोड करें।) ☐
13. एम्पलाई कोड :- ....
14. चिकित्सा प्रमाण पत्र:-

    (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा वर्तमान में जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड करे) ☐
15. आवेदिका के हस्ताक्षर एवं दिनॉक :- अपलोड करें । ☐

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला...............................

क्रमांक/2018/ जिला.............. दिनॉक / /2018

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि :–

सुश्री /श्रीमति.. स्टाफ नर्स जिला........................ की सेवा अभिलेख में अंकित प्रथम नियुक्ति दिनॉक .... है। सुश्री श्रीमति.................................. स्टाफ नर्स के पद पर निरन्तर नियमित रूप से ....वर्षो से कार्यरत है।

2/ सुश्री श्रीमति .... स्टाफ नर्स के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच एवं लोकायुक्त प्रकरण, आर्थिक अपराध प्रकरण एवं न्यायालयीन प्रकरण लंबित नही है।

3/ सुश्री/श्रीमति........................... की परिवीक्षा अवधि दिनॉक .... को समाप्त हुई है।

4/ सुश्री/श्रीमति ....द्वारा .... पद हेतु आवेदन करने पर आपत्ति नही है।

दिनॉक.............
स्थान.................

हस्ताक्षर.....................................
पदनाम.......................................
सील..